


11.10.2023:—पत्रावली आज पेशी मे आई। प्रार्थी अधिवक्ता
उपरिथत। मुल वादपत्र अदम पैरवी/अदम
हाजरी मे खारिज हो चुका है तो प्रार्थना-पत्र मे
कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र
खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर
ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से
कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल
दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ